(2021) 2 एस.सी.आर. 145

कपिल अग्रवाल और अन्य

विरूद्ध

संजय शर्मा और अन्य

2021 की आपराधिक अपील संख्या 142

01 मार्च 2021

**( डॉ. धनंजय वाई चन्द्रचूड़ और एम.आर.शाह न्यायमूर्तिगण )**

*भारत का संविधान:*

*अनुच्छेद 226- रिट याचिका-प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा/धाराऐं 420/406, भा.दं.सं.को रद्द करने के लिए-शिकायतकर्ता की वितरण के अनुबंध के अवसान की वजह से विनिर्माण कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता पर देय बकाया राशि की मांग की गई- शिकायतकर्ता द्वारा बकाया राशि के संबंध में दिया गया चैक अनादित हुआ तथा प्रकरण अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम लंबित-विनिर्माण की कंपनी के अधिकारियों में से एक के खिलाफ धन के दुरूपयोग संबंधी आरोप की शिकायत के संबंध मंे नकारात्मक अंतिम पुलिस रिपोर्ट प्राप्त-शिकायतकर्ता की एक और शिकायत अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ (अपीलकर्ता) न्यायालय के समक्ष लंबित-2 साल की अवधि के बाद शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी (कंपनी के कार्यालय) के विरूद्ध आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा/धाराऐं 406/420, भा.दं.सं.- प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कराने के लिए याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 226- उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत-उच्चतम न्यायालय में अपील- अभिनिर्धारितः प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराने में ऐसी कोई बाधा नहीं है कि समान आरोपों तथा कथनों के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में शिकायत प्रस्तुत की गई है- इसलिए, पूर्व में पेश की गई शिकायत अंतर्गत धारा 156(3), दं.प्र.सं. का लंबित होना आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट की संधार्यता को प्रभावित नहीं करेगा- हालांकि, यदि तत्पश्चात् की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त का उत्पीड़न करने के लिए कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग होना पाई जाती है तो उसे अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग किए जाकर अथवा धारा 482, दं.प्र.सं. के अधीन अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग किए जाकर रद्द किया जा सकता है- वर्तमान मामले के तथ्य यह बताते हैं कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग किए जाकर*

*अभियुक्त को उत्पीड़ित करने वाली है- इसलिए उच्च न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उसे खारिज कर देना चाहिए था- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 482 अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने*

**अभिनिर्धारित कियाः 1. यह कहना सही नहीं है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट संधार्य नहीं होगी तथा खारिज एवं रदद करने योग्य है क्योंकि समान आरोपों के आधार पर निजी प्रत्यर्थी-शिकायतकर्ता द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा 156(3), दं.प्र.सं. का प्रस्तुत किया गया था जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है। धारा 210, दं.प्र.सं. अनुसार यदि पुलिस रिपोर्ट भिन्न आधार पर किसी मामले, में अर्थात् परिवाद मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण के दौरान उसके समक्ष यह प्रकट किया जाता है कि इस अपराध के बारे में, जो उसके द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण का विषय है, पुलिस द्वारा अनुसंधान/अन्वेषण हो रहा है, तब मजिस्ट्रेरट ऐसी जांच या विचारण की कार्यवाही को रोक देगा और अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी से उस मामले की रिपोर्ट तलब करेगा। यह यहां भी बताता है कि यदि अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173, दं.प्र.सं. के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तथा मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी रिपोर्ट पर ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध किसी अपराध का संज्ञान लिया जाता है, जो परिवाद वाले मामले में अभियुक्त है, तो मजिस्ट्रेट परिवाद वाले मामले की तथा पुलिस रिपोर्ट से उत्पन्न मामले की जांच या विचारण साथ-साथ इस प्रकार करेगा जैसे कि दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए मामले है। आगे यह भी बताता है कि यदि पुलिस रिपोर्ट परिवाद वाले मामले में किसी अभियुक्त से संबंधित नहीं है या यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेता है तो वह उस जांच या विचारण में जो उसके द्वारा रोकी गई थी, दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगा। इस प्रकार, केवल इस आधार पर कि उन्हीं आरोपों तथा कथनों के आधार पर तथ्यों के एक ही सेट पर पहले शिकायत दर्ज की गई है, उन्हीं आरोपों तथा कथनों के आधार पर पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई रोक नहीं है। (पैरा 5) (156-डी-एच; 157-ए-डी )**

**2. हालांकि, उसी समय, यदि यह पाया जाता है कि पश्चात्वर्ती प्रथम सूचना रिपोर्ट काननू की प्रक्रिया का दुरूपयोग है और/या मात्र अभियुक्त को उत्पीड़ित करने के लिए पंजीबद्ध की गई है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 226 अथवा धारा 482, दं.प्र.सं. के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द किया जा सकता है। ऐसी दशा में, शिकायत मामला दं.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार आगे बढ़ेगा।**

**3. धारा 482, दं.प्र.सं. और/या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत् अंतर्निहित क्षेत्राधिकार इस हितकारी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रूपरेखित आपराधिक कार्यवाहियों को उत्पीड़न के**

**हथियार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट होता है कि आपराधिक कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है या अभियुक्त पर दबाव डालने के बराबर है, तो अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसी कार्यवाही निरस्त की जा सकती है। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी-मूल-शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग और आरोपी पर दबाव पश्चात्वर्ती बनाने वाली कहा जा सकता है। यह मामले के तथ्यों से पता चलता है। इसलिए, जब आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट कानून की प्ररक्रिया का दुरूपयोग तथा अपीलकर्ताओं - अभियुक्तों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं है, तो उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/धारा 482, दं.प्र.सं. के तहत् शक्तियों का उपयोग करना चाहिए था तथा आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को न्याय के उद्देश्यों को संरक्षित करने के लिए खारिज करना चाहिए था (पैरा 6.1, 7 तथा 8) ( 157-एफ-जी; 158-बी-एच )**

**पर्बतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य (2017) 9 एससीसी 641 : (2017) 10 एससीआर 12- पर निर्भर**

**4. धारा 420/406, भा.दं.सं. के अंतर्गत दर्ज की गई आक्षेपित आपराधिक कार्यवाही/प्रथम सूचना रिपोर्ट को उपरोक्त आधारों पर खारिज एवं रद्द किया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों के गुणों पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया गया है क्योंकि अपीलार्थीगण के विरूद्ध धारा 156(3), दं.प्र.सं. के आवेदन के रूप में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही लंबित है (पैरा 9) (159-एफ-जी)**

जी, सागर सूरी बनाम उत्तरप्रदेश राज्य **(2000) 2 एस.सी.सी. 636, (2000) 1 एस.सी.आर. 417 ;** जेटिकिंग इंफोट्रेन लिमिटेड बनाम उत्तरप्रदेश राज्य **(2015) 11 एस.सी.सी. 730 ; (2015) , 3 एम.सी.आर. 572- पर निर्भर।**

उमाशंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य **(2005) 10 एससीसी 336 ;** मोहम्मद इब्राहिम बनाम बिहार राज्य **(2009) 8 एस.सी.सी., 751; (2009), 13 एस.सी.आर. 1254;** वेसा होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम केरल राज्य **(2015) 8 एससीसी 293; (2015) , 4 एस.सी.आर. 27;** राबर्ट जॉन डिसूजा बनाम स्टीफन वी. गोम्स **(2015) 9 एससीसी 96; (2015), 8 एससीआर 662;** हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल, **1992 सप.(1) एससीसी 33**, एस.के. अलघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2008) 5 एस.सी.सी. 662: (2008) 2 एस.सी.आर. 1088;** सरदार सिंह बनाम हरियाणा राज्य **(1977) 1 एस.सी.सी. 463;** मकसूद सैयद बनाम गुजराज राज्य

**(2008) 5 एससीसी 688;** सुशील सेठी बनाम अरूणाचल प्रदेश राज्य **(2020) 3 एससीसी** 240: **{2020} 1 एससीआर 582** - **निर्दिष्ट मामले**।

**केस कानून संदर्भ**

| | | |
|---|---|---|
| (2000) 1 एससीआर 417 | भरोसा किया | पैरा 3.5 |
| (2015) 3 एससीआर 572 | संदर्भित किया | पैरा 3.5 |
| (2005) 10 एससीसी 326 | संदर्भित किया | पैरा 3.6 |
| (2009) 13 एससीआर 1254 | संदर्भित किया | पैरा 3.8 |
| (2015) 4 एससीआर 27 | संदर्भित किया | पैरा 3.8 |
| (2015) 8 एससीआर 662 | संदर्भित किया | पैरा 3.8 |
| 1992 सप. (1) एससीसी 33 | संदर्भित किया | पैरा 3.8 |
| (2008) 2 एससीआर 1088 | संदर्भित किया | पैरा 3.9 |
| (1977) 1 एससीसी 463 | संदर्भित किया | पैरा 3.9 |
| (2008) 5 एससीसी 688 | संदर्भित किया | पैरा 3.9 |
| (2020) 1 एससीआर 582 | संदर्भित किया | पैरा 3.10 |
| (2017) 10 एससीआर 12 | संदर्भित किया | पैरा 6.2 |

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील क्रमांक 142/2021, रिट याचिका क्रमांक 18308/2017 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.09.2017 से.

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्तागण के.व्ही. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, अमृत्या ए. शरण, अमित आनंद तिवारी, कु. मैरी मिटजी, कुमारी देवयानी गुप्ता।

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्तागण एम.सी. ढींगरा, राघवेन्द्र शुक्ला, अविराल सक्सेना, गौरव ढींगरा, कु. गरिमा प्रसाद।

**न्यायमूर्ति एम.आर. शाह** द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया।

1. वर्तमान अपील अपीलार्थीगण ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका क्रमांक 18360/2017 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.09.2017 से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है जिससे उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर की गई याचिका को खारिज किया जो कि पुलिस थाना लौनी बॉर्डर, जिला गाजियाबाद में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 790/2017 अंतर्गत धारा /धाराऐं 420/406, भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट को खारिज करने के लिए दायर की गई थी।

2. वर्तमान अपील को निर्णीत करने के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि:

यह कि एक मैसर्स वरूण बेवरेजिस लिमिटेड (संक्षेप में वीबीएल) जो कि पेप्सीको इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड की एक लायसेंस प्राप्त फ्रेन्चाईजी है तथा पेप्सीको ब्रांड के अंतर्गत काबोनेटिड मीठा पानी, फलों के रस, डिब्बा बंद पीने के पानी के विक्रय एवं निर्माण में लगी हुई थी। वर्ष 2013 में वीबीएल ने शिकायतकर्ता- संजय शर्मा को लौनी क्षेत्र, जिला गाजियाबाद में कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों को बचने और वितरित करने के लिए एक वितरक के रूप में नियुक्त किया। वर्ष 2014 में कंपनी के द्वारा वितरण के अनुबंध को समाप्त कर दिया गया जो कि अपीलार्थीगण के अनुसार प्रत्यर्थी क्रमांक 1 यहां मूल शिकायतकर्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण हुआ था। अपीलार्थीगण के अनुसार, इसके बाद खातों का मिलान और कंपनी द्वारा रखे गए खातों का विवरण और प्रतिभूति जमा को समायोजित करने के बाद शिकायतकर्ता पर उसे आपूर्ति की गई सामग्री के लिए 9,46,280/- रूपए की राशि बकाया पाई गई। शिकायतकर्ता ने कंपनी -वीबीएल के पक्ष में दिनांक 15.09.2014 को एक चैक जारी किया। उक्त चैक दिनांक 22.09.2014 को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था। उक्त चैक अनादरित हुआ था तथा शिकायतकर्ता के बैंकर के द्वारा "अपर्याप्त राशि" के कारण भुगतान किए बिना वापिस कर दिया गया। इसके बाद वैधानिक कानूनी नोटिस जारी होने के बाद भुगतान न करने के कारण, अपीलार्थीगण ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रत्यर्थी 1 तथा उसकी कंपनी ठाकुर ट्रेंडिग के विरूद्ध दिनांक 07.11.2014 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद की न्यायालय में एक आपराधिक शिकायत प्रस्तुत की जो कि शिकायत मामला क्रमांक 7652/2014 है। प्रत्यर्थी 1 को मुकदमे का सामना करने के लिए समन किया गया। उक्त शिकायत वर्तमान में निपटारे के लिए लंबित है। प्रत्यर्थी 1 द्वारा कंपनी-वीबीएल के अधिकारियों में से एक के खिलाफ शिकायत प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 1565/2014 दिनांक 15.09.2014 दर्ज की गई जिसमें कंपनी के अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी अर्थात् विपुल वर्मा द्वारा छः लाख रूपए का दुर्विनियोग करने का आरोप लगाया गया। यह कि पुलिस द्वारा जांच के बाद जांच अधिकारी ने एक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट क्रमांक 47/2015 दिनांक 20.01.2015 प्रस्तुत की।

2.1 प्रत्यर्थी 1 ने भी दिनांक 09.02.2015 को अपीलार्थीगण द्वारा 31,12,375 रूपए का दुर्विनियोग करने संबंधी एक और मामला दर्ज किया। इसके पश्चात् प्रत्यर्थी 1 के द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद-1 के न्यायालय में अपीलाथियों और कंपनी के दो अन्य अधिकारियों के द्वारा 31,12,375/- रूपए का दुर्विनियोग करने का आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन लौनी को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने हतु धारा 156(3), दं.प्र.सं. के तहत शिकायत/आवेदन पेश किया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने का निर्देश देने के बजाय इसे एक शिकायत मामला मानते हुए

मामले में जांच करने का फैसला किया। आदेश दिनांक 23.03.2015 के द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रत्यर्थी 1 के आवेदन अंतर्गत धारा 156(3), दं.प्र.सं, को शिकायत मामला माना तथा प्रत्यर्थी 1 को धारा 200, दं.प्र.सं. के अंतर्गत उसका कथन दर्ज कराने का अवसर दिया।

2.2 धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन को एक शिकायत मामला मानते हुए पारित आदेश दिनांक 23.03.2015 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी 1 ने विद्वान सत्र न्यायालय, गाजियाबाद के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन क्रमांक 70/2015 प्रस्तुत किया जो कि विद्वान सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद के द्वारा स्वीकार किया गया तथा विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 23.03.2015 को खारिज एवं रद्द किए जाकर मामले को विद्वान मजिस्ट्रेट को वापस भेजे जाकर रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार कर धारा 156(3), दं.प्र.सं. के तहत आवेदन पर विचार कर नए सिरे से सकारण आदेश पारित करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके पश्चात्, विद्वान मजिस्ट्रेट ने संबंधित पुलिस स्टेशन से कार्यवाही रिपोर्ट मांगी। यह कि संबंधित पुलिस अधिकारी ने दिनांक 09.08.2015 को विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह कि, उक्त कार्यवाही विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है।

2.3 यह कि लगभग 2 साल की अवधि के पश्चात्, प्रत्यर्थी 1 ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 04.08.2018 को पुलिस स्टेशन लौनी, जिला गाजियाबाद में धारा 406/420 भा.दं.सं. के अपराध के लिए आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा 156(3), दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए आवेदन में लगाए गए आरोपों के समान ही आरोप हैं जो कि वर्ष 2015 से विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष विचार हेतु लंबित है।

इस स्तर पर, यह नोट किया जाना आवश्यक है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट कपिल अग्रवाल, अपीलार्थी क्रमांक 1- निर्देशक, शरद गर्ग, तथाकथित अपीलार्थी क्रमांक 2- बहु इकाई प्रबंधक तथा दीपक शर्मा अपीलार्थी क्रमांक 3- विक्रय प्रमुख, के खिलाफ दर्ज कराई गई है। तत्पश्चात्, इसके बाद अपीलार्थीगण ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट केस अपराध क्रमांक 790/2017 अंतर्गत धारा 420/406, भा.दं.सं. पुलिस स्टेशन लौनी बॉर्डर, जिला गाजियाबाद को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय में आपराधिक विविध रिट याचिका क्रमांक 18301/2017 दायर की। आक्षेपित निर्णय और आदेश के द्वारा, उच्च न्यायालय ने यह पाते हुए कि प्रथम दृष्टया प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध होने का खुलासा करती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट को खारिज करने से इंकार कर दिया।

2.4 प्रथम सूचना रिपोर्ट केस अपराध क्रमांक 790/2017 अंतर्गत धारा 420/406, भा.दं.सं. पुलिस स्टेशन लौनी बॉर्डर, जिला गाजियाबाद को रद्द करने से इंकार करने के उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय तथा आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर मूल आरोपी के द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

3. अपीलार्थीगण की ओर से श्री के.वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से यह दलील पेश की कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट विशुद्ध रूप से सिविल विवाद को आपराधिक मामले में सम्परिवर्तित कर अपीलार्थीगण को परेशान करने के लिए कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग है।

3.1 यह दलील प्रस्तुत की गई कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु से पता चलता है कि इसे कमीशन की वसूली और विक्रय पर छूट जो कि दोनों पक्षों के बीच 15 महीने की अवधि में हुए नियमित व्यवसायिक लेनदेन, के लिए दर्ज कराई गई। इस तरह, यह विशुद्ध रूप से संविदात्मक विवाद है।

3.2 यह दलील प्रस्तुत की गई कि शिकायतकर्ता के द्वारा कथित देय राशि की वसूली के लिए कोई दीवानी कार्यवाही दायर नहीं की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट पूरी तरह से अपीलार्थीगण को राजी करने एवं उनसे पैसे ऐंठने के उद्देश्य से दर्ज कराई गई है।

3.3 आगे यह दलील प्रस्तुत की गई कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष लंबित धारा 156(3), द.पं्र.सं के अंतर्गत आवेदन की लंबितता के संबंध में एक फुसफुसाहट भी नहीं है। न ही इस तथ्य का कोई उल्लेख है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कोई मामला चल रहा है।

3.4 यह दलील प्रस्तुत की गई कि धारा 156(3) के आवेदन के संबंध में पुलिस रिपोर्ट उसके खिलाफ गई है तथा प्रत्यर्थी 1 के द्वारा पूर्व की कार्यवाही में 2 साल से भाग लिए बिना छोड़ दिया गया है तथा समान आरोपों पर नई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यह दलील प्रस्तुत की गई है कि समान आरोपों पर नई प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र अपीलार्थीगण को गिरफ्तार कराने तथा उनसे धन की उगाही करने के उद्देश्य से दर्ज कराई गई है।

3.5 इस न्यायालय के प्रकरण *जी. सागर सुरी बनाम उत्तरप्रदेश (2000) 2 एससीसी 636 तथा जेटकिंग इन्फोट्रेन लिमिटेड बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (2015) 11 एससीसी 730* पर भरोसा किए जाकर यह दलील प्रस्तुत की गई है कि धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत शिकायत के लंबित होने को देखते हुए और तत्पश्चात् की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी के लिए जवाबी विस्फोट है, वर्तमान अभियोजन स्पष्ट रूप से कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा तथा इसलिए आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट खारिज एवं रद्द किए जाने योग्य है।

3.6 इस न्यायालय के प्रकरण *उमाशंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य (2005) 10 एससीसी 336* पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकी विवाद विशुद्ध रूप से सिविल विवाद कहा जा सकता है जिसे आपराधिक रंग दिया गया है इसलिए इसे खारिज एवं रद्द किया जाना चाहिए।

3.7 आगे यह दलील की गई है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपों को अंकित मूल्य पर लेते हुए भी अपीलार्थीगण के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 406/420 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। सबसे अच्छे रूप में यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि प्रत्यर्थी 1 ने कंपनी को कुछ पैसे दिए जो कि कंपनी ने उसके अनुरोध पर उसे वापस नहीं दिए। यह भी दलील प्रस्तुत की गई कि कंपनी वीबीएल को अभियुक्त भी नहीं बनाया गया है तथा अपीलार्थीगण को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में निदेशक, बहु इकाई प्रबंधक तथा विक्रय प्रमुख के तौर पर अभियुक्त के रूप में शामिल किया गया है। यह दलील प्रस्तुत की गई अपीलार्थीगण के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 406 के अंतर्गत मामला बनाए जाने के लिए एक आरोप यह होना चाहिए कि प्रत्यर्थी 1 अपीलार्थीगण को उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं में, न कि वीबीएल अधिकारियों के रूप में प्रासंगिक कमीशन/लाभों के साथ न्यस्त किया गया।

3.8 आगे यह दलील प्रस्तुत की गई कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री के अवलोकन से भी धारा 420, भा.दं.सं. के अपराध के आवश्यक तथ्य पूरी तरह से गायब हैं। यह भी दलील प्रस्तुत की गई कि इस प्रकार का कोई आक्षेप नहीं है कि अपीलार्थीगण के द्वारा (ए) प्रत्यर्थी 1 को धोखा दिया या बेईमानी से प्रत्यर्थी 1 से कुछ मामले को छिपाया या किसी अन्य कार्य या चूक द्वारा; (बी) धोखाधडी या बेईमानी से प्रत्यर्थी 1 को कथित रूप से प्रतिभूति के रूप में सौंपे गए चैक देने के लिए प्रेरित किया या दावा किए गए कमीशन/लाभों को वीबीएल को सौंपने के लिए सहमत हुए; या ऐसा कुछ भी करने या करने से इंकार किया जो प्रत्यर्थी 1 ने नहीं किया गया होता या उसे धोखा नहीं दिया जाता। इस न्यायालय के प्रकरण *इब्राहिम बनाम बिहार राज्य (2009) 8 एससीसी 751; वेसा हॉल्डिंगस (पी) लिमिटेड विरूद्ध केरल राज्य (2015) 8 एससीसी 293; राबर्ट जान डिसूजा बनाम स्टीफन वी. (2015) 9 एससीसी 96; और हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल, 1992 सप. (1) एससीसी 33* पर भरोसा किया गया।

3.9 आगे यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित आरोपों के अनुसार भी राशि कंपनी से देय है न कि अपीलार्थीगण से। किसी भी अपीलार्थी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से कोई समर्पण या प्रतिहरण नहीं किया है। यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण *एस.के. अलघ बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (2008) 5 एससीसी 662, सरदार सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1977) 1 एससीसी 463 तथा मकसूद सैयद बनाम गुजरात राज्य (2008) 5 एससीसी 688* में अभिनिर्धारित किया गया है, भले ही किसी कंपनी के खिलाफ धारा 406, भा.दं.सं. के अंतर्गत मामला बनाया गया किन्तु किसी कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों प्रत्यावर्ती दायित्व नहीं दिया जा सकता है।

3.10 यह दलील प्रस्तुत की गई है कि चूंकी मुख्य आरोप कंपनी के खिलाफ है और कंपनी को प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी ही नहीं बनाया गया था तो यह रद्द एवं खारिज किए

जाने योग्य है। इस न्यायालय के प्रकरण *सुशील सेठी बनाम अरूणांचल प्रदेश (2020) 3 एससीसी 24*0 पर भरोसा किया गया।

3.11 उपरोक्त प्रस्तुतियां करते हुए तथा उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान अपील स्वीकार की जाए तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 490/2017 अंतर्गत धारा 420/406, भा.दं.सं., पुलिस लौनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद को रद्द कर दिया जाए क्योंकि वह कानून की प्रक्रिया के दुरूपयोग के अलावा कुछ भी नहीं है।

4. वर्तमान अपील का प्रत्यर्थी-मूल शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम.सी. ढिंगरा के द्वारा विरोध किया गया।

4.1 यह दलील प्रस्तुत की गई है कि चूंकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है इसीलिए उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने से सही रूप से इंकार कर दिया है।

4.2 यह दलील प्रस्तुत की गई है कि शुरू में देय राशि एवं शिकायतकर्ता को देय राशि प्राप्त करने में विफल रहने के कारण शिकायतकर्ता विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के समक्ष धारा 156(3), दं.प्र.सं. का आवेदन करने के लिए विवश हुआ था। हालांकि, विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 420, 406, 467, 468, 471, 34/120बी, भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध के आरोपों का उल्लेख के बिना दिनांक 23.03.2015 को बहुत ही गुप्त आदेश पारित किए जाकर धारा 156 (3) के आवेदन को दं.प्र.सं. की धारा 200 के अंतर्गत एक शिकायत मामले के रूप में मानने का निर्देश दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर शिकायतकर्ता के द्वारा विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा दिनांक 08.07.2015 को दिनांक 23.03.2015 के आदेश को दरकिनार किए जाकर मामले को विद्वान मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने और धारा 156(3) के अंतर्गत शिकायतकर्ता के आवेदन पर नए सिरे पर एक तर्क पूर्ण आदेश द्वारा पारित करने के लिए वापस भेज दिया गया। यह दलील प्रस्तुत की गई कि एक बार फिर उसी जांच अधिकारी के द्वारा समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जिसके द्वारा पहले समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। यह दलील प्रस्तुत की गई कि विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा समापन रिपोर्ट पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया तथा धारा 156(3), दं.प्र.सं. के आवेदन को लंबे समय तक विचार के लिए रखे जाने से न्याय प्राप्त करने के लिए शिकायतकर्ता को बहुत पीड़ा हुई तथा शिकायतकर्ता कंपनी तथा उसके अधिकारियों- यहां अपीलार्थीगण के विरूद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वह विवश हो गया था। यह दलील प्रस्तुत की गई कि हालांकि, पुलिस के द्वारा अपीलार्थीगण को अपराध अंतर्गत धारा 420/406, भा.दं.सं., के लिए अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है परंतु इसमें अभिकथित तथ्य शिकायतकर्ता के खाली चैक

क्रमांक 038611 जो कि कंपनी के पास जमानत के रूप में रखे गए 5 चैकों में से एक होकर उसे जाली बनाने के लिए धारा 467, 468, 471, भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराधों का भी खुलासा करते हैं तथा उक्त चैक भुनाने की मांग की, लेकिन सफल नहीं हो सका था, क्योंकि चैक अनादरित हो गया था। यह दलील प्रस्तुत की गई कि कंपनी के द्वारा शिकायतकर्ता-प्रत्यर्थी जो कि कंपनी के साथ विश्वास में पड़ा था लेकिन कंपनी को भुगतान नहीं कर रहा है, को भुगतान किए जाने वाले कमीशन के प्रति कंपनी का बकाया 31,12,375.06 था तथा इस प्रकार उसके साथ छल कारित किए जाकर विश्वासघात भी किया गया। यह दलील प्रस्तुत की गई कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप भी लगाया गया था कि पैसे की मांग करने पर उनके द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गई तथा इसलिए आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा 506, भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध करने का खुलासा भी करती है।

4.3 अब जहां तक अपीलार्थीगण की ओर से किए गए निवेदन कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में 2 साल का अस्पष्टीकृत विलंब है, का प्रश्न है। यह दलील प्रस्तुत की गई कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई देरी नही हुई है। यह दलील प्रस्तुत की गई कि विलंब तथ्य एवं कानून का एक मिश्रित प्रश्न है और बचाव की याचिका है। इसे विचारण के समय समझाया जा सकता है। यह दलील प्रस्तुत की गई कि देर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना हमेशा प्रत्येक मामले में अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होता है क्योंकि यह विचारण के समय समझाया जा सकता है। यह दलील प्रस्तुत की गई कि विलंबित पंजीकरण के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करना एक सामान्य नियम नहीं है बल्कि यह विचारण में समझाया जा सकता है।

4.4 अब जहां तक अपीलार्थीगण की ओर से की गई दलील कि धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन के लंबित रहने के दौरान आरोपों के एक ही समूह पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती थी, यह दलील प्रस्तुत की गई कि धारा 210 दं.प्र.सं. अंतर्गत इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 154, दं.प्र.सं., के अंतर्गत बहु तथ्यों/आरोपों के एक ही समूह पर परिवाद मामले के लंबन के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। यह दलील प्रस्तुत की गई कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने से विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित शिकायत अंतर्गत धारा 156 (3) दं.प्र.सं. ध्वस्त हो जाएगी।

4.5 आगे यह दलील प्रस्तुत की गई कि इस तथ्य के बावजूद की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 467, 468, 471, 34/120बी, भा.दं.सं., के अंतर्गत अपराध करने का खुलासा भी करती है, पुलिस के द्वारा केवल भा.दं.सं. की धारा 420/406, भा.दं.सं., के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। यह दलील प्रस्तुत की गई कि विचारण न्यायालय निर्णय पारित करने के पूर्व किसी भी समय धारा 216, दं.प्र.सं. की शक्तियों का उपयोग किए जाकर धारा 467, 468, 471, 34/120बी, भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप जोड़ सकती है।

4.6 अब जहां तक अपीलार्थीगण की ओर से धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत लंबित आवेदन के संबंध में खुलासा न करने का संबंध है, यह दलील प्रस्तुत की गई कि यह एक सुस्थापित विधि है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक विश्वकोश नहीं है। यह दलील प्रस्तुत की गई कि धारा 156 (3), दं.प्र.सं. के तहत शिकायत के लंबित होने का उल्लेख न करना किसी भी प्रकार से अपीलार्थीगण को प्रभावित नहीं करता है। यह दलील प्रस्तुत की गई कि धारा 210, दं.प्र.सं. के अनुसार भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस द्वारा अनुसंधान लंबित रहने के दौरान मजिस्ट्रेरट के समक्ष लंबित कार्यवाही को विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा रोक दिया जाना चाहिए। यह दलील प्रस्तुत की गई कि आरोपों के उसी समूह पर बाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना, जैसा कि लंबित शिकायत में है, किसी भी कानून का सामना नहीं करता है।

4.7 अब, जहां तक अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई दलील कि कंपनी को प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप में शामिल नहीं किया गया है का संबंध है, यह दलील प्रस्तुत की गई है कि पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थीगण के साथ कंपनी को भी अभियुक्त के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था। यह दलील प्रस्तुत की गई कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित अपीलार्थीगण के द्वारा इसको चुनौती नहीं दी गई है कि वे कंपनी के मुख्य पदाधिकारी हैं तथा शिकायतकर्ता की डीलरशीप के परिचालन के लिए हर प्रकार से जिम्मेदार हैं। यह दलील प्रस्तुत की गई कि अपीलार्थीगण अपने सहअभियुक्त के रूप में कंपनी की अनुपस्थिति के लिए कोई लाभ नहीं ले सकते हैं। कंपनी को पुलिस के द्वारा साक्ष्य इकट्ठा करने के पश्चात् आरोप पत्र में आरोपी के रूप में जोड़ा जा सकता है। यह दलील प्रस्तुत की गई कि यदि किसी भी अवसर पर पुलिस ऐसा करने से चूक जाए तो विचारण न्यायालय के पास धारा 319, दं.प्र.सं. के तहत कंपनी को सहअभियुक्त के रूप में मुकदमा लड़ने के लिए तलब करने की शक्तियां हैं।

4.8 आगे यह दलील प्रस्तुत की गई कि अभियुक्तगण को उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए केवल इसलिए छूट नहीं मिल सकती क्योंकि उन्होंने शिकायतकर्ता के विरूद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत प्रस्तुत की है। यह दलील प्रस्तुत की गई कि यदि इस तरह के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो सभी क्रॉस आपराधिक मामले अस्वीकार हो जाएंगे।

4.9 आगे, यह दलील प्रस्तुत की गई कि अपीलार्थीगण के द्वारा ईमेल के माध्यम से तथा विधिवत् हस्ताक्षरित कागजी प्रतियों के माध्यमों से भी स्वीकार किया है कि 34,50,418/- रूपए उत्तरदाता को कमीशन, प्रोत्साहन और छूट आदि के माध्यम से देय हैं। उक्त राशि अपीलार्थीगण तथा कंपनी के द्वारा डीलरशीप के समापन पर विश्वास के रूप में रखी गई थी। अपीलार्थीगण तथा कंपनी के द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा इस प्रकार उनके द्वारा प्रत्यर्थीगण को धोखा दिया गया है एवं विश्वासघात किया गया। यह दलील प्रस्तुत

की गई कि अपीलार्थीगण अब स्पष्ट रूप से उक्त अभिस्वीकृति पर विवाद कर रहे हैं। यह दलील प्रस्तुत की गई कि केवल इसलिए कि ईमेल तथा कागजी प्रतियों के माध्यम से अभिस्वीकृति अब अपीलार्थीगण द्वारा विवादित है, इसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट खारिज नहीं होगी।

4.10 उपरोक्त दलीलें प्रस्तुत करते हुए यह दलील भी प्रस्तुत की गई कि चूंकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेप अपराध के कारित होने का खुलासा करती है, इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग किए जाकर डेवढी पर ही रद्द नहीं किया जा सकता है। यह दलील प्रस्तुत की गई कि इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और/या धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट को डेवढी पर रद्द करने के लिए शक्तियों को संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह दलील प्रस्तुत की गई कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि संज्ञेय अपराध होने का खुलासा करती है, को संविधान के अनुच्छेद 226 की शक्तियों को इस्तेमाल किए जाकर खारिज करने का यह उपयुक्त मामला नहीं है।

5. हमने संबंधित पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को लंबे समय तक सुना।

अपीलार्थीगण की ओर से यह मामला है कि समान आरोपों पर निजी प्रात्यार्थी/शिकायतकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया अंतर्गत धारा 156(3), दं.प्र.सं. का आवेदन जो कि विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट समान आरोपों और कथनों के साथ बनाए रखने योग्य नहीं होगी, और इसलिए, पुलिस स्टेशन लौनी बॉर्डर, जिला गाजियाबाद में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द करने और दरकिनार किए जाने योग्य है। उपरोक्त को इस साधारण कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि दण्ड प्रक्रिया संहिता शिकायत मामले में ऐसी घटना की अनुमति देती है तथा किसी शिकायत मामले में मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच या विचारण एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा सकता है। इस स्तर पर दं.प्र.सं. की धारा 210 का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो कि निम्नानुसारः

(1) जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले में (जिसे इसमें इसके पश्चात परिवाद वाला मामला कहा गया है) मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण के दौरान उसके समक्ष यह प्रकट किया जाता है कि उस अपराध के बारे में जो उसके द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण का विषय है, पुलिस द्वारा अन्वेषण हो रहा है तब मजिस्ट्रेरट ऐसी जांच या विचारण की कार्यवाही को रोक देगा और अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी से उस मामले की पुलिस रिपोर्ट मांगेंगे।

(2) यदि अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 के अंतर्गत रिपोर्ट की जाती है और ऐसी रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध किसी अपराध का संज्ञान किया जाता है जो परिवाद वाले मामले में अभियुक्त है तो, मजिस्ट्रेट परिवाद वाले मामले की ओर पुलिस रिपोर्ट से पैदा होने वाले मामले की जांच या विचारण साथ-साथ ऐसे करेगा मानो दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए हैं।

(3) यदि पुलिस रिपोर्ट परिवाद वाले मामले में किसी अभियुक्त से संबंधित नहीं है या यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं करता है तो वह उस जांच या विचारण में जो उसके द्वारा रोक ली गई थी, इस संहिता के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

अतः धारा 210, दं.प्र.सं. अनुसार जहां पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले के अर्थात् परिवाद मामला, में मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण दौरान मजिस्ट्रेरट के समक्ष यह प्रकट होता है कि उस अपराध के बारे में जो उसके द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण का विषय है, के संबंध में पुलिस द्वारा अनुसंधान हो रहा है, तब मजिस्ट्रेट ऐसी जांच या विचारण की कार्यवाही को रोक देगा तथा अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी से उस मामले की रिपोर्ट मांगेंगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि जांच अधिकारी के द्वारा धारा 173, दं.प्र.सं. के अंतर्गत रिपोर्ट दी जाती है तथा उस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया जाता है जो परिवाद मामले में आरोपी है, तब मजिस्ट्रेट परिवाद मामले और पुलिस रिपोर्ट से उत्पन्न मामले की जांच करेगा या एक साथ मुकदमा चलाएगा जैसे कि दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज किए गए हों। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि पुलिस रिपोर्ट परिवाद मामले में किसी भी आरोपी से संबंधित नहीं है या यदि पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाता है तो वह जांच या विचारण जो कि उसके द्वारा रोक दी गई थी, में दं.प्र.सं. के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

इस प्रकार, मात्र इसलिए, कि एक समान आरोपों और कथनों के साथ तथ्यों के एक ही समूह पर पहले शिकायत दर्ज की गई थी, समान आरोपों एवं तथ्यों के साथ पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने पर कोई रोक नहीं है।

6. हालांकि, इसी समय यदि यह पाया जाता है कि पश्चातवर्ती प्रथम सूचना रिपोर्ट कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग और/ या अभियुक्त को उत्पीडन करने के लिए दर्ज कराई गई है, उसे संविधान के अनुच्छेद 226 अथवा धारा 482, दं.प्र.सं. की शक्तियों का उपयोग किए जाकर खारिज किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, परिवाद मामला दं.प्र.सं. के उपबंधों के अधीन आगे बढ़ेगा।

6.1 जैसा कि इस न्यायालय के द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में देखा तथा अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 482, दं.प्र.सं. और/ या संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार को लाभदायक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार बनाया गया है कि आपराधिक कार्यवाही को नष्टधर्मी किए जाने हेतु उत्पीड़न करने के शस्त्र के रूप में उपयोग न किया जा सके। जहां न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट हो जाता है कि आपराधिक कार्यवाही कानून प्रक्रिया का दुरूपयोग करने वाली रही है अथवा यह अभियुक्त पर दबाव डालने वाली है, वहां अंतर्निहित शक्तियों का उपयेाग किए जाकर ऐसी कार्यवाही को खारिज किया जा सकता है।

6.2 जैसा कि इस न्यायालय के द्वारा प्रकरण *पर्बतभाई अहीर बनाम गुजराज राज्य (2017) 9 एससीसी 641* में अभिनिर्धारित किया है, धारा 482, दं.प्र.सं. एक अध्यरोही प्रावधान के साथ परिकल्पित है। कानून उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को एक उच्चतर न्यायालय के रूप में बचाता है जो कि ऐसे आदेश देने के लिए आवश्यक है कि (i) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए; अथवा (ii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को संरक्षित करने के लिए। यही शक्तियां उच्च न्यायालय के पास है जब वह संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करता है।

7. इस न्यायालय द्वारा उपर सम्प्रेक्षित किए निर्धारित कानून को हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर लागू किए जाकर प्रत्यर्थी-मूल शिकायतकर्ता के द्वारा दर्ज की गई तत्पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट को कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग करना तथा अभियुक्त पर दबाव डालने वाला कहा जा सकता है जिसे निम्नलिखित तथ्यों से साबित किया जा रहा है:

i) चैक क्रमांक 038611 नकदीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया तथा शिकायतकर्ता के बैंकर द्वारा अपर्याप्त राशि होने के कारण अनादरित किया गया।

ii ) यह कि कंपनी- वीबीएल के द्वारा शिकायतकर्ता पर परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत वैधानिक कानूनी नोटिस तामील किया गया।

iii) यह कि इसके पश्चात् कंपनी के द्वारा प्रत्यर्थी-मूल शिकायतकर्ता के विरूद्ध दिनांक 07.11.2014 को धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दायर की गई।

iv) यह कि इसके पश्चात्, 3 महीने की अवधि के पश्चात् अर्थात् फरवरी, 2015 में प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराने के लिए धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन पेश किया गया।

v) विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने के लिए आदेश पारित करने से इंकार किया गया परंतु उसे परिवाद मामला माने जाकर मामले में जांच करने का निर्णय लिया तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 1-मूल शिकायतकर्ता को धारा 200, दं.प्र.सं. के प्रावधान के आलोक में शपथ पर उसके कथन दिए जाने का अवसर दिया गया (आदेश दिनांक 23.03.2015)। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांक 08.07.2015 के द्वारा आदेश दिनांक

23.03.2015 को रद्द किए जाकर मामला विद्वान मजिस्ट्रेट को इस निर्देश के साथ वापस भेजा गया कि वह सकारण आदेश पारित करे जो कि विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है।

vi) यह कि दो वर्ष की अवधि के पश्चात प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के द्वारा धारा 156(3), दं.प्र.सं. के आवेदन में अभिकथित समान आरोपों के साथ पुलिस स्टेशन लौनी बॉर्डर, जिला गाजियाबाद में अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध कारित होने की दिनांक 26.07.2017 दर्शाई गई।

vii) ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 उसके द्वारा धारा 156(3), दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है जो कि विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष पिछले पांच वर्षों से लंबित है।

viii) प्रथम सूचना रिपोर्ट में न तो विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित आवेदन अंतर्गत धारा 156(3), दं.प्र.सं. का कोई उल्लेख है तथा न ही धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत शिकायत का कोई संदर्भ है।

उपरोक्त परिस्थितियों में, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के अलावा कुछ नहीं है तथा यह अपीलार्थीगण को उत्पीड़न करने के उद्देश्य से दर्ज कराई गई है।

8. हम प्रकरण के गुणों पर कुछ भी अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं कि अपीलार्थीगण के विरूद्ध धारा 156(3), दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में कथित आरोप बनते हैं जो कि विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है तथा विद्वान मजिस्ट्रेट को उस पर कार्यवाही करनी है। इसलिए, जहां आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग तथा अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण का उत्पीड़न होकर अन्यथा कुछ नहीं है, हमारा मत है कि उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/धारा 482, दं.प्र.सं. के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग किए जाकर न्याय के उद्देश्यों को संरक्षित करने के लिए आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अपील अनुमत की जाती है। आक्षेपित आपराधिक कार्यवाही/प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि पुलिस थाना लौनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद में केस अपराध क्रमांक 790/2017 अंतर्गत धारा 420/406, भा.दं.सं. के अंतर्गत पंजीबद्ध है, को इसके द्वारा खारिज किया जाता है तथा उपरोक्त आधारों पर रद्द किया जाता है। हम यह स्पष्ट करते हंै कि हमने प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध लगाए गए आक्षेपों के गुणदोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है क्योंकि धारा 156(3), दं.प्र.सं. के आवेदन के संबंध में कार्यवाही विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है। विद्वान मजिस्ट्रेट उक्त आवेदन के साथ कानून के अनुसार एवं अपने स्वयं के गुणों के आधार पर आगे

बढ़ेगा। प्रत्यर्थी क्रमांक 1 यदि चाहे और उसे सलाह दी जाए तो उक्त कार्यवाही के साथ आगे बढ़े।

10. इन टिप्पणियों के साथ वर्तमान अपील अनुमत की जाती है।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील स्वीकार

डॉ. मनोज कुमार गोयल